

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 9493  
प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 05.12.25

1 गुसाईराम पुत्र चौखाराम  
वगैराह जाति जाट निवासी  
दौलोणियों की ढाणी, सांजटा  
तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला  
बाड़मेर।

1 आसूराम पुत्र उदाराम वगैराह जातियान जाट निवासी  
दौलोणियों की ढाणी, सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण  
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी  
बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :- 374/2025

दिनांक- 26/11/2025

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा दौलाणियों का तला पटवार हल्का सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 455/62 रकबा 9.7124 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 473/62 रकबा 2.8328 हैक्टेयर, खसरा संख्या 456/62 रकबा 9.7124 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उप उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 05.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9494 - 9497

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी गुसाईराम पुत्र चौखाराम वगैराह जाति जाट निवासी दौलोणियों की ढाणी, सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण अचलाराम पुत्र खेताराम वगैरा जाति जाट निवासी बाकाणी सारणों की ढाणी, गोलिया जेतमाल तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

उप उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

